प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

अपर निदेशक, कुष्ठ,
महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र सं0: 03—A / एन.एल.ई.पी. / एन.पी. / 2016—17 / 11143 दिनांक 23/03/17

विषय— वर्ष 2016—17 हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के शेष 3 माह के वेतन **के लिए अवमुक्त धनराशि के सम्बध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बंध में अपने पत्र संख्या 11फ / कुष्ठ / बजट / 2016 / 1596 दिनांक 13.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदाधीन जिला कुष्ठ परामर्शदाता, फिजियोथेरेपिस्ट एवं पैरा मेडिकल वर्कर का वित्तीय वर्ष 2016—17 में शेष 03 माह का वेतन रू0 272.36 लाख की धनराशि विभिन्न जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

2. उक्त क्रम में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार, गतिविधिवार फांट के अनुसार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 272.36 लाख की धनराशि 64 जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 16.03.2017 को आवंटित / अवमुक्त कर दी गयी है।

District Alloction					
SN	**Name of District**	**Total Release (Rs.)**	**G.4.2.2.A District Leprosy Consultant**	**G.4.2.2.B Physiotherapist NLEP**	**G.4.2.3.A PMW NLEP**
1	Agra	167,440.00	-	-	167,440.00
2	Aligarh	110,880.00	-	-	110,880.00
3	Allahabad	356,895.00	103,950.00	86,625.00	166,320.00
4	Ambedkar Nagar	412,335.00	103,950.00	86,625.00	221,760.00
5	Amethi	52,800.00	-	-	52,800.00
6	Amroha (JP Nagar)	523,215.00	103,950.00	86,625.00	332,640.00
7	Auraiya	467,775.00	103,950.00	86,625.00	277,200.00
8	Azamgarh	-	-	-	-
9	Baghpat	55,440.00	-	-	55,440.00
10	Bahraich	190,575.00	103,950.00	86,625.00	-
11	Ballia	911,295.00	103,950.00	86,625.00	720,720.00
12	Balrampur	467,775.00	103,950.00	86,625.00	277,200.00
13	Banda	110,880.00	-	-	110,880.00
14	barabanki	862,785.00	-	86,625.00	776,160.00
15	Bareilly	966,735.00	103,950.00	86,625.00	776,160.00
16	Basti	412,335.00	103,950.00	86,625.00	221,760.00
17	Bijnor	634,095.00	103,950.00	86,625.00	443,520.00
18	Budaun	1,133,055.00	103,950.00	86,625.00	942,480.00
19	Bulandshahar	55,440.00	-	-	55,440.00
20	Chandauli	467,775.00	103,950.00	86,625.00	277,200.00
21	Chitrakoot	-	-	-	-
22	Deoria	689,535.00	103,950.00	86,625.00	498,960.00
23	Etah	55,440.00	-	-	55,440.00

---2

District Alloction					
SN	Name of District	Total Release (Rs.)	G.4.2.2.A District Leprosy Consultant	G.4.2.2.B Physiotherapist NLEP	G.4.2.3.A PMW NLEP
24	Etawah	55,440.00	-	-	55,440.00
25	Faizabad	-	-	-	-
26	Farukkhabad	55,440.00	-	-	55,440.00
27	Fatehpur	689,535.00	103,950.00	86,625.00	498,960.00
28	Firozabad	55,440.00	-	-	55,440.00
29	Gautam Buddha Nagar	55,440.00	-	-	55,440.00
30	Ghaziabad	110,880.00	-	-	110,880.00
31	Ghazipur	-	-	-	-
32	Gonda	55,440.00	-	-	55,440.00
33	Gorakhpur	744,975.00	103,950.00	86,625.00	554,400.00
34	Hamirpur	246,015.00	103,950.00	86,625.00	55,440.00
35	Hapur	55,440.00	-	-	55,440.00
36	Hardoi	1,243,935.00	103,950.00	86,625.00	1,053,360.00
37	Hathras	-	-	-	-
38	Jalaun	748,385.00	120,000.00	86,625.00	541,760.00
39	Jaunpur	-	-	-	-
40	Jhansi	110,880.00	-	-	110,880.00
41	Kannauj	573,375.00	103,950.00	86,625.00	382,800.00
42	Kanpur Dehat	523,215.00	103,950.00	86,625.00	332,640.00
43	Kanpur Nagar	689,535.00	103,950.00	86,625.00	498,960.00
44	Kasganj	110,880.00	-	-	110,880.00
45	Kaushambi	634,095.00	103,950.00	86,625.00	443,520.00
46	Kushi Nagar (Padrauna)	800,415.00	103,950.00	86,625.00	609,840.00
47	Lakhimpur Kheri	1,022,175.00	103,950.00	86,625.00	831,600.00
48	Lalitpur	-	-	-	-
49	Lucknow	419,265.00	-	86,625.00	332,640.00
50	Maharajganj	1,032,975.00	103,950.00	86,625.00	842,400.00
51	Mahoba	301,455.00	103,950.00	86,625.00	110,880.00
52	Mainpuri	55,440.00	-	-	55,440.00
53	Mathura	55,440.00	-	-	55,440.00
54	MAU	578,655.00	103,950.00	86,625.00	388,080.00
55	Meerut	55,440.00	-	-	55,440.00
56	MIRZAPUR	578,655.00	103,950.00	86,625.00	388,080.00
57	Moradabad	855,855.00	103,950.00	86,625.00	665,280.00
58	Muzaffar Nagar	55,440.00	-	-	55,440.00
59	Pilibhit	-	-	-	-
60	Pratapgarh	110,880.00	-	-	110,880.00
61	Raebareli	744,975.00	103,950.00	86,625.00	554,400.00
62	Rampur	462,825.00	99,000.00	86,625.00	277,200.00
63	Saharanpur	55,440.00	-	-	55,440.00
64	Sambhal	-	-	-	-
65	Sant Kabir Nagar	55,440.00	-	-	55,440.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	301,455.00	103,950.00	86,625.00	110,880.00
67	Shahjahanpur	966,735.00	103,950.00	86,625.00	776,160.00
68	Shamali	55,440.00	-	-	55,440.00
69	Shrawasti	241,065.00	99,000.00	86,625.00	55,440.00
70	Siddharth Nagar	-	-	-	-
71	Sitapur	1,243,935.00	103,950.00	86,625.00	1,053,360.00

---3

District Alloction					
SN	**Name of District**	**Total Release (Rs.)**	**G.4.2.2.A District Leprosy Consultant**	**G.4.2.2.B Physiotherapist NLEP**	**G.4.2.3.A PMW NLEP**
72	Sonbhadra	356,895.00	103,950.00	86,625.00	166,320.00
73	Sultanpur	-	-	-	-
74	Unnao	855,855.00	103,950.00	86,625.00	665,280.00
75	Varanasi	110,880.00	-	-	110,880.00
Total		**27,235,875.00**	**3,852,300.00**	**3,378,375.00**	**20,005,200.00**

3. अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत करने का कष्ट करें तथा दिशा–निर्देश में वित्तीय सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित करने का कष्ट करें–

- अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तका में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
- मानदेय के मद में अवमुक्त की गयी धनराशि से भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनको वार्षिक मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्अनुबन्धित किया गया हो अथवा वर्ष 2016–17 की पी0आई0पी0 में अनुमोदित पदों के सापेक्ष नई तैनाती की गयी हो। मानदेय में 5% की वार्षिक–वृद्धि उन्हीं संविदा कर्मियों को देय होगी जिन्होने एक वर्ष की संतोषजनक निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

23/3/17

o/c **(डा0 विजय लक्ष्मी)**

वरिष्ठ सलाहकार

पत्र सं0: 03–A/NLEP/NP/2016–17/ 11143-9 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 विजय लक्ष्मी)

o/c वरिष्ठ सलाहकार